

सं. 20(5)/2016/रक्षा(जेसीएम)
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
नई दिल्ली दिनांक 26 अक्तूबर, 2016

सेवा में,

सेनाध्यक्ष,
नई दिल्ली

विषय: वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. 7/4/2014-ई-III ए के अनुसार लेखा वर्ष 2014-15 हेतु एओसी के सिविलियन कर्मचारियों हेतु उत्पादकता संबंधी बोनस (पीएलबी) के बकाया का भुगतान।

महोदय,

मुझे लेखा वर्ष 2014-15 हेतु उत्पादकता संबंधी बोनस (पीएलबी) के बकाया के भुगतान हेतु वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के का.ज्ञा.सं. 7/4/2014-ई-III ए का संदर्भ ग्रहण करने का निदेश हुआ है।

2. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 29.08.2016 के उसी आदेश के तहत, लेखा वर्ष 2014-15 हेतु 40 दिनों की मजदूरी के समकक्ष, एओसी के पात्र सिविलियन कर्मचारियों को उत्पादकता संबंधी बोनस का भुगतान किया जाएगा जो इस शर्त के अध्वधीन होगा कि जिन सभी नियमों और शर्तों के अन्तर्गत भुगतान किया गया है, वे अपरिवर्तनीय रहेंगी।

3. रक्षा मंत्रालय के दिनांक 16.10.2015 के पत्र सं. 20(2)/2014/रक्षा(जेसीएम) के द्वारा पहले से भुगतान किए गए उत्पादकता संबंधी बोनस (पूर्व गणना की उच्चतम सीमा 3500/- रु. के आधार पर) के समायोजन के पश्चात वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 29.08.2016 के उसी आदेश की शर्तों में पीएलबी के बकाये की गणना मासिक परिलब्धियां 3500/- रुपयों के स्थान पर 7000/- रुपयों पर आधारित होगा।

4. इस व्यय को रक्षा सेवा प्राक्कलन के तहत उसी संबंधित शीर्ष से घटाया जाएगा जिनसे इन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते घटाए जाते हैं। पीएलबी के बकाया के भुगतान पर हुए संपूर्ण व्यय को वर्ष 2016-17 हेतु स्वीकृत बजट अनुदान से समायोजित किया जाएगा।

आपका

(अनिल कुमार)
उप सचिव भारत सरकार
दूरभाष: 23011681

.....2/-

प्रतिलिपि:-

सीजीडीए, नई दिल्ली

डीएडीएस, नई दिल्ली

डीजीओएस/सेना मुख्यालय

एमजीओ/सेना मुख्यालय

सीडीए [केन्द्रीय कमान], मेरठ]

सीडीए(पश्चिमी कमान), पुणे

सीडीए (पूर्वी कमान), पटना

सभी उप डीएडीएस

सभी लेखा कार्यालय, रक्षा सेवाएं, इलाहाबाद और सिकंदराबाद ।

उप सीडीए इंचार्ज, वेतन विभाग नई दिल्ली, रक्षा मंत्रालय (दो प्रतियां)

डीएफए बजट निदेशक वित्त (एजी/पीबी)

संयुक्त सचिव (कार्मिक) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)

विभागीय जेसीएम परिषद के स्टाफ पक्ष के सभी सदस्य, निदेशक (आईटी) रक्षा मंत्रालय की

वेबसाईट (जेसीएम) पर अपलोड करने के आग्रह के साथ

मूल हस्ताक्षरित प्रति:-

सभी रक्षा लेखा नियंत्रक

सूचना प्रति:-

1. रक्षा मंत्री / रक्षा राज्य मंत्री के निजी सचिव
2. रक्षा सचिव के स्टाफ ऑफिसर

सं. 20(2)/2016/रक्षा(जेसीएम)
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
नई दिल्ली दिनांक 25 अक्तूबर, 2016

सेवा में,

नौसेनाध्यक्ष,
नई दिल्ली

विषय: वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. 7/4/2014-ई-III ए के अनुसार लेखा वर्ष 2014-15 हेतु एओसी के सिविलियन कर्मचारियों हेतु उत्पादकता संबंधी बोनस (पीएलबी) के बकाया का भुगतान।

महोदय,

मुझे लेखा वर्ष 2014-15 हेतु उत्पादकता संबंधी बोनस (पीएलबी) के बकाया के भुगतान हेतु वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के का.ज्ञा.सं. 7/4/2014-ई-III ए का संदर्भ ग्रहण करने का निदेश हुआ है।

2. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 29.08.2016 के उसी आदेश के तहत, लेखा वर्ष 2014-15 हेतु 40 दिनों की मजदूरी के समकक्ष, एओसी के पात्र सिविलियन कर्मचारियों को उत्पादकता संबंधी बोनस का भुगतान किया जाएगा जो इस शर्त के अध्वधीन होगा कि जिन सभी नियमों और शर्तों के अन्तर्गत भुगतान किया गया है, वे अपरिवर्तनीय रहेंगी।

3. रक्षा मंत्रालय के दिनांक 21.09.2015 के पत्र सं. 20(4)/2014/रक्षा(जेसीएम) के द्वारा पहले से भुगतान किए गए उत्पादकता संबंधी बोनस (पूर्व गणना की उच्चतम सीमा 3500/- रु. के आधार पर) के समायोजन के पश्चात वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 29.08.2016 के उसी आदेश की शर्तों में पीएलबी के बकाये की गणना मासिक परिलब्धियां 3500/- रुपयों के स्थान पर 7000/- रुपयों पर आधारित होगा।

4. इस व्यय को रक्षा सेवा प्राक्कलन के तहत उसी संबंधित शीर्ष से घटाया जाएगा जिनसे इन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते घटाए जाते हैं। पीएलबी के बकाया के भुगतान पर हुए संपूर्ण व्यय को वर्ष 2016-17 हेतु स्वीकृत बजट अनुदान से समायोजित किया जाएगा।

आपका

(अनिल कुमार)
उप सचिव भारत सरकार
दूरभाष: 23011681

.....2/-

प्रतिलिपि:-

सीजीडीए, नई दिल्ली

डीएडीएस, नई दिल्ली

डीजीओएस/सेना मुख्यालय

एमजीओ/सेना मुख्यालय

सीडीए [केन्द्रीय कमान], मेरठ]

सीडीए(पश्चिमी कमान), पुणे

सीडीए (पूर्वी कमान), पटना

सभी उप डीएडीएस

सभी लेखा कार्यालय, रक्षा सेवाएं, इलाहाबाद और सिकंदराबाद ।

उप सीडीए इंचार्ज, वेतन विभाग नई दिल्ली, रक्षा मंत्रालय (दो प्रतियां)

डीएफए बजट निदेशक वित्त (एजी/पीबी)

संयुक्त सचिव (कार्मिक) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)

विभागीय जेसीएम परिषद के स्टाफ पक्ष के सभी सदस्य, निदेशक (आईटी) रक्षा मंत्रालय की

वेबसाईट (जेसीएम) पर अपलोड करने के आग्रह के साथ

मूल हस्ताक्षरित प्रति:-

1. सभी रक्षा लेखा नियंत्रक
2. निदेशक (आईटी):- रक्षा मंत्रालय की वेबसाईट (जेसीएम) पर अपलोड किए जाने के आग्रह सहित

सूचना प्रति:-

1. रक्षा मंत्री / रक्षा राज्य मंत्री के निजी सचिव
2. रक्षा सचिव के स्टाफ ऑफिसर

सं. 20(4)/2016/रक्षा(जेसीएम)
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
नई दिल्ली दिनांक 25 अक्तूबर, 2016

सेवा में,

वायु सेनाध्यक्ष,
नई दिल्ली

विषय: वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. 7/4/2014-ई-III ए के अनुसार लेखा वर्ष 2014-15 हेतु एओसी के सिविलियन कर्मचारियों हेतु उत्पादकता संबंधी बोनस (पीएलबी) के बकाया का भुगतान।

महोदय,

मुझे लेखा वर्ष 2014-15 हेतु उत्पादकता संबंधी बोनस (पीएलबी) के बकाया के भुगतान हेतु वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के का.ज्ञा.सं. 7/4/2014-ई-III ए का संदर्भ ग्रहण करने का निदेश हुआ है।

2. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 29.08.2016 के उसी आदेश के तहत, लेखा वर्ष 2014-15 हेतु 40 दिनों की मजदूरी के समकक्ष, एओसी के पात्र सिविलियन कर्मचारियों को उत्पादकता संबंधी बोनस का भुगतान किया जाएगा जो इस शर्त के अधीन होगा कि जिन सभी नियमों और शर्तों के अन्तर्गत भुगतान किया गया है, वे अपरिवर्तनीय रहेंगी।

3. रक्षा मंत्रालय के दिनांक 07.10.2015 के पत्र सं. 20(5)/2014/रक्षा(जेसीएम) के द्वारा पहले से भुगतान किए गए उत्पादकता संबंधी बोनस (पूर्व गणना की उच्चतम सीमा 3500/- रु. के आधार पर) के समायोजन के पश्चात वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 29.08.2016 के उसी आदेश की शर्तों में पीएलबी के बकाये की गणना मासिक परिलब्धियां 3500/- रुपयों के स्थान पर 7000/- रुपयों पर आधारित होगा।

4. इस व्यय को रक्षा सेवा प्राक्कलन के तहत उसी संबंधित शीर्ष से घटाया जाएगा जिनसे इन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते घटाए जाते हैं। पीएलबी के बकाया के भुगतान पर हुए संपूर्ण व्यय को वर्ष 2016-17 हेतु स्वीकृत बजट अनुदान से समायोजित किया जाएगा।

आपका

(अनिल कुमार)

उप सचिव भारत सरकार

दूरभाष: 23011681

प्रतिलिपि:-

सीजीडीए, नई दिल्ली

डीएडीएस, नई दिल्ली

डीजीओएस/सेना मुख्यालय

एमजीओ/सेना मुख्यालय

सीडीए [केन्द्रीय कमान], मेरठ]

सीडीए(पश्चिमी कमान), पुणे

सीडीए (पूर्वी कमान), पटना

सभी उप डीएडीएस

सभी लेखा कार्यालय, रक्षा सेवाएं, इलाहाबाद और सिकंदराबाद ।

उप सीडीए इंचार्ज, वेतन विभाग नई दिल्ली, रक्षा मंत्रालय (दो प्रतियां)

डीएफए बजट निदेशक वित्त (एजी/पीबी)

संयुक्त सचिव (कार्मिक) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)

विभागीय जेसीएम परिषद के स्टाफ पक्ष के सभी सदस्य, निदेशक (आईटी) रक्षा मंत्रालय की

वेबसाईट (जेसीएम) पर अपलोड करने के आग्रह के साथ

मूल हस्ताक्षरित प्रति:-

1. सभी रक्षा लेखा नियंत्रक
2. निदेशक (आईटी):- रक्षा मंत्रालय की वेबसाईट (जेसीएम) पर अपलोड किए जाने के आग्रह सहित

सूचना प्रति:-

1. रक्षा मंत्री / रक्षा राज्य मंत्री के निजी सचिव
2. रक्षा सचिव के स्टाफ ऑफिसर